VR·14112 8/6/04
भारत सरकार मुद्रणालय से प्राप्त।
दिनांक R-9223 12/2/04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 8/6/04
REGD. NO. D. L.-33004/99
प्रभारी वितरण हेतु

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O. — 500
KM — 30
Deptt — 250
CPB — 220

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2004/माघ 14, 1925
No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2004/MAGHA 14, 1925

पूरा
प्रभारी
रा० वि० ए

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2004

सं. 13/2004-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 89(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार असबाब नियमावली, 1998 को और आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को असबाब (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2004 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. असबाब नियमावली, 1998 में,—

(क) परिशिष्ट क में:—

(i) कॉलम (1) में, प्रत्येक मद (क), (ख), (ग) तथा (घ) में आने वाले "12 वर्ष" अंकों और शब्दों के स्थान पर "10 वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ii) कॉलम (1) में मद (क) के सामने, कॉलम (2) में, मद (ii) में, "रु. 12,000" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 25,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(iii) कॉलम (1) में मद (ख) के सामने, कॉलम (2) में, मद (ii) में, "रु. 6,000" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 12,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(iv) कॉलम (1) में मद (ग) के सामने, कॉलम (2) में, मद (ii) में, "रु. 3,000" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 6,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(v) कॉलम (1) में मद (घ) के सामने कॉलम (2) में, मद (ii) में, "रु. 1,500" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 3,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ख) परिशिष्ट ख में,—

(i) कॉलम (1) में, प्रत्येक मद (i) तथा (ii) में आने वाले "12 वर्ष" अंकों एवं शब्दों के स्थान पर "10 वर्ष" अंक एवं शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ii) कॉलम (1) में मद (i) के सामने, कॉलम (2) में, मद (ii) में, "रु. 3,000" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 6,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(iii) कॉलम (1) में मद (ii) के सामने, कॉलम (2) में, मद (ii) में, "रु. 750" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 1,500" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ग) परिशिष्ट ग में,—

(i) कॉलम (1) में मद (क) के सामने, कॉलम (2) में,—

(क) मद (i) में, "रु. 6,000" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 12,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ख) मद (ii) में, "रु. 10,000" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 20,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ii) कॉलम (1) में मद (ख) के सामने, कॉलम (2) में,—

(क) मद (i) में, "रु. 6,000" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 12,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ख) मद (i) में, "रु. 20,000" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 40,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(घ) परिशिष्ट (ङ) में ;—

(i) कॉलम (1) में मद (ख) के सामने, कॉलम (2) में, मद (ii) में, "रु. 4,000" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 8,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं;

(ii) कॉलम (1) में मद (घ) के सामने, कॉलम (2) में, मद (ii) में, "रु. 3,000" अक्षर एवं अंकों के स्थान पर "रु. 6,000" अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

[फा. सं. 495/02/2004-सीमा शुल्क- VI]

वी. केजो, अवर सचिव

टिप्पणी:—मूल नियमावली भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 30/98-सीमा शुल्क, (गै.टै.) दिनांक 2 जून, 1998 [सा.का.नि. 296(अ), दिनांक 2 जून, 1998] के तहत प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 5/2004-सीमा शुल्क, (गै.टै.) दिनांक 8 जनवरी, 2004 [सा.का.नि. 30(अ), दिनांक 8 जनवरी, 2004] के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2004

No. 13/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 89(E).—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government makes the following rules further to amend the Baggage Rules, 1998, namely :—

1. (1) These rules may be called the Baggage (Second Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on and the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Baggage Rules, 1998,—

(A) in Appendix A,—

(i) in column (1), for the figures and word, "12 years", occurring in each items (a), (b), (c) and (d), the figures and word "10 years" shall be substituted;

(ii) against item (a) in column (1), in column (2), in item (ii), for the letters and figures "Rs. 12,000", the letters and figures "Rs. 25,000" shall be substituted;

(iii) against item (b) in column (1), in column (2), in item (ii), for the letters and figures "Rs. 6,000", the letters and figures "Rs. 12,000" shall be substituted;

(iv) against item (c) in column (1), in column (2), in item (ii), for the letters and figures "Rs. 3,000", the letters and figures "Rs. 6,000" shall be substituted;

(v) against item (d) in column (1), in column (2), in item (ii), for the letters and figures "Rs. 1,500", the letters and figures "Rs. 3,000" shall be substituted;

(B) in Appendix B,—

(i) in column (1), for the figures and word, "12 years", occurring in each items (i) and (ii), the figures and word "10 years" shall be substituted;

(ii) against item (i) in column (1), in column (2), in item (ii), for the letters and figures, "Rs. 3,000", the letters and figures "Rs. 6,000" shall be substituted;

(iii) against item (ii) in column (1), in column (2), in item (ii), for the letters and figures, "Rs. 750", the letters and figures "Rs. 1,500" shall be substituted;

(C) in Appendix C,—

(i) against item (a) in column (1), in column (2),—

(a) in item (i), for the letters and figures, "Rs. 6,000", the letters and figures "Rs. 12,000" shall be substituted;

(b) in item (ii), for the letters and figures, "Rs. 10,000", the letters and figures "Rs. 20,000" shall be substituted;

(ii) against item (b) in column (1), in column (2),—

(a) in item (i), for the letters and figures, "Rs. 6,000", the letters and figures "Rs. 12,000" shall be substituted;

(b) in item (i), for the letters and figures, "Rs. 20,000", the letters and figures "Rs. 40,000" shall be substituted;

(D) in Appendix E,—

(i) against item (b) in column (1), in column (2), in item (ii), for the letters and figures, "Rs. 4,000", the letters and figures "Rs. 8,000" shall be substituted;

(ii) against item (b) in column (1), in column (2), in item (ii), for the letters and figures, "Rs. 3,000", the letters and figures "Rs. 6,000" shall be substituted;

[F. No. 495/02/2004-Cus.-VI]

V. KEZO, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification No. 30/98-Customs (N.T.), dated the 2nd June, 1998 [G.S.R. 296(E) dated the 2nd June, 1998] and were last amended *vide* notification No. 5/2004-Customs (N.T.), dated the 8th January, 2004 [G.S.R. 30(E), dated the 8th January, 2004].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2004

सं. 33/2004–सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 90(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 136/90–सीमा शुल्क, दिनांक 20 मार्च, 1990 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (2) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "50%" अंकों के स्थान पर "40%" अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

[फा. सं. 495/02/2004–सीमा शुल्क–VI]

वी. केजो, अवर सचिव

टिप्पणी:—मूल अधिसूचना सं. 136/90–सीमा शुल्क, दिनांक 20 मार्च, 1990 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 366(अ), दिनांक 20 मार्च, 1990 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. 28/2003–सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2003 [सा.का.नि. 163(अ), दिनांक 1 मार्च, 2003] के तहत संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2004

No. 33/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136/90-Customs, dated the 20th March, 1990, namely :—

In the said notification, in the Table, in Column (2), for the figures, "50%" occurring in both the places, the figures "40%" shall be substituted.

[F. No. 495/02/2004-Cus.~VI]

V. KEZO, Under Secy.

Note : The principal notification No. 136/90-Customs, dated the 20th March, 1990 was published in the Gazette of India *vide* G.S.R. No. 366(E), dated the 20th March, 1990, and was last amended *vide* Notification No. 28/2003-Customs dated 1st March, 2003 [G.S.R. 163(E), dated the 1st March, 2003].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.